

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

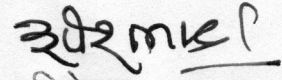
क्रमांक:- एफ.4(ई)(आर-1235)/अलेसे-III/2335

दिनांक:- 22-12-2021

कार्यालय आदेश

श्री रामसिंह बाघेला, कनिष्ठ लेखाकार (दिव्यांग) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर को वित्त (ग्रुप-2) विभाग के आदेश क्रमांक एफ.10(4) वित्त(ग्रुप-2)/76 दिनांक 13.03.1984 के अन्तर्गत सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंषा दिनांक 13.12.2021 के आधार पर एवं वित्त (नियम) विभाग के आदेश संख्या एफ.6(6) एफडी/रूल्स/2010 दिनांक 25.04.2012 के अनुक्रम में नियमानुसार मूल वेतन का 6 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 600/-) प्रति माह वाहन भत्ता स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति दिनांक 13.12.2021 (चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंषा) से प्रभावी होगी।


निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(आर-1235)/अलेसे-III/2335

दिनांक:- 22-12-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
2. श्री रामसिंह बाघेला, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
3. उप निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
4. पदस्थापन सीट/निजि/रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)